

भाग क राजस्व प्राप्तियां

निम्नलिखित विवरण में स्थूल श्रणियों द्वारा वित्त अधिनियम, 2003 में सन्निहित अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के प्रस्तावों द्वारा जुटाए गए संभावित अतिरिक्त राजस्व के प्रभाव को हिसाब में लेने के पश्चात् राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। इस विवरण के बाद दी गई टिप्पणियों में विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे भी दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 2002-2003 के बीच अंतर और संशोधित अनुमानों तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों के अंतर को स्पष्ट किया गया है।

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे दिनांक 1/4/1996 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किया गया है, के अनुसार क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों तथा शुल्कों पर अधिभार तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर केंद्र की सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए तथा संग्रहित किए जाएंगे तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जैसा निर्धारित किया जाए उस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का तरीका ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित किया गया है।

	(करोड़ रुपए)		
	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
I. कर राजस्व			
निगम कर	51499	62986	79546
आय पर कर	44070	40269	46309
धन कर	145	145	145
सीमा शुल्क	49350	49350	53000
संघ उत्पाद शुल्क	96791	92379	107199
सेवा कर	8000	8300	13500
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	557	594	624
अन्य कर	1115	900	...
जोड़-कर राजस्व	251527	254923	300323
जिसमें से व्यय के एवज में घटाया गया (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को वित्तपोषित करने के लिए अधिभार)	3600	1600	1600
सकल कर राजस्व का शेष	247927	253323	298723
घटाइए-राज्यों का हिस्सा#:	63758	65784	78591
केन्द्र का निवल कर राजस्व	184169	187539	220132
II. कर-भिन्न राजस्व			
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	57021	58080	51841
संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	546	578	618
अन्य कर-भिन्न राजस्व	12199	16830	18291
जोड़-कर-भिन्न राजस्व	69766	75488	70750
निवल-केन्द्र का राजस्व	253935	263027	290882

केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्से का राज्य-वार वितरण अनुबंध-1 में दर्शाया गया है।